2006:CGHC:6645

**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**एकल पीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

**रिट याचिका सं. 2607/1990**

याचिकाकर्ता : पी. एम. देवांगन

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : भारतीय खाद्य निगम और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 6 फरवरी, 2006 को आदेश के लिए नियत करें।

सही/-

**(सतीश के. अग्निहोत्री)**

**न्यायाधीश**

दिनांक 4.2.2006

2006:CGHC:6645

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर**

**एकल पीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

**रिट याचिका सं. 2607/1990**

याचिकाकर्ता : पी. एम. देवांगन, आयु लगभग 43 वर्ष, पिता श्री दीन दयाल देवांगन, निवासी-सक्ति, डाक और तहसील सक्ति, जिला बिलासपुर (छग)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1 . भारतीय खाद्य निगम 16/20, बाराखंभा लेन, नई दिल्ली, द्वारा प्रबंध निदेशक।

2 . क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, मिस्त्री भवन, डी. डब्ल्यू. रोड, चर्च गेट, बॉम्बे-20.

3 . वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, हबीबगंजः भोपाल (म.प्र.)

2006:CGHC:6645

4 . श्री एन. एन. मुखर्जी, तत्कालीन जांच अधिकारी, अब जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, गुरुद्वारा के पास, मोती तबेला, ग्वालियर (म.प्र.)।

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री एस. पी. शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के लिए श्री बी. पी. गुप्ता, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**आदेश**

**(6 फरवरी, 2006)**

1 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर इस वर्तमान याचिका द्वारा आदेश दिनांक 25.9.1987 (अनुलग्नक पी-13), जिसके द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम निगम ने याचिकाकर्ता को सेवा से "हटाने" की शास्ति अधिरोपित की थी और आदेश दिनांक 12.09.1988 (अनुलग्नक पी-14), जिसके अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकरण अर्थात क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम)/उत्तरवादी संख्या 2 ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की थी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित सेवा से हटाने के आदेश को यथावत रखा था, को चुनौती दी गई है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता भारतीय खाद्य निगम, बिलासपुर के जिला प्रबंधक के अधीन भारतीय खाद्य निगम, डिपो नैला में सहायक ग्रेड-II (डिपो) के रूप में

2006:CGHC:6645

कार्यरत  था। याचिकाकर्ता को निम्नलिखित आरोपों के लिए अभियोग पत्र जारी किया गया थाः -

"दिनांक 13.7.1978 को लहार के लिए 12.7.78 दिनांकित ट्रक चिट क्रमांक 4713 और 4714 के विरुद्ध 100 बोरी चीनी से भरे एमपीडब्लू - 1254 और एमपीजी - 9889 संख्यांकित दो ट्रक डबरा से भेजे गए थे, जिन्हें ग्वालियर स्थित भारतीय खाद्य निगम डिपो के 'बी' शेड पर श्री पीएम देवांगन, जो 'बी' शेड के शेड प्रभारी थे, द्वारा दिनांक 13.7.78 को ढुलाई कराई गई थी। शेड पर तैनात चौकीदार द्वारा बताया गया कि प्रत्येक ट्रक में 100 बॉरी के स्थान पर केवल 95 बॉरी अर्थात कुल 200 बॉरी के स्थान पर 190 बॉरी ही ढुलाई किये गए थे तथा डंप किए गए थे। इसलिए श्री के.के. खुराना, सहायक प्रबंधक (डिपो) ग्वालियर द्वारा श्री पी.एम. देवांगन और कुछ अन्य गोदाम अधिकारियों के सहयोग से बी शेड पर चीनी का भौतिक सत्यापन किया गया और उन्होंने पाया कि:

i) स्टैक संख्या बी-2/4 में 10 बोरी चीनी कम थी, जहां पर उपर्युक्त दो ट्रक चीनी उतारी गई थी, 200 बोरी के प्रेषण के विरुद्ध 190 बोरी उतारी गई थी, स्टैक में 200 बोरी के प्रेषण के विरुद्ध 190 बोरी पाई गई थी तथा गोदाम पंजी में इन्हें 200 बोरी के रूप में लेखबद्ध किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) बी-2/5 में चीनी के 8 थैले अधिक पाए गए थे। स्टैक बी - 1/4 और बी - 2/5 में भी चीनी की 3 बोरियां अधिक पाई गईं थी।

3. तदनुसार, याचिकाकर्ता को स्टैक संख्या बी-2/4 में कम पाई गई चीनी की 10 बोरियों के दुर्विनियोग और स्टैक संख्या बी-2/5 में पाई गई अतिरिक्त चीनी की 8 बोरियों का हिसाब न देने तथा इसी प्रकार अतिरिक्त पाई गई चीनी की 3 बोरियों का हिसाब न देने के लिए अभियोग-पत्र दिया गया था। तदनुसार, उस पर प्रक्रिया के अनुसार लेखा-जोखा न रखने तथा सहायक प्रबंधक (डी), एफसीआई, ग्वालियर की अनुमति के बिना लहार के बजाय ग्वालियर में चीनी ट्रक की ढुलाई करने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया। उक्त आरोप उस अवधि से संबंधित हैं, जब याचिकाकर्ता खाद्य भंडारण डिपो, ग्वालियर में पदस्थ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 . इसके बाद, पत्र दिनांक 10.4.1985 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 3 से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के लिए याचिकाकर्ता को ग्वालियर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता को मौके पर सत्यापन की अनुज्ञा नहीं दी गई थी, परंतु उसे क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में आरोप पत्र के साथ सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 19.2.1987 द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों और साक्षियों के नामों की सूची प्रस्तुत की गई थी।

5. यह प्रकथन किया गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी और तदनुसार, एक तार दिनांक

23.2.87 भेजा था, जांच अधिकारी ने एकपक्षीय रूप से जांच आगे बढ़ा दी। इसके बाद, याचिकाकर्ता को अनुवर्ती तिथियों अर्थात 26.3.87, 27.3.87, 28.3.87 और 29.3.87 के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया। दिनांक 23.3.87 से 29.9.87 तक की अवधि के मध्य याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में अभि०सा०-2, अभि०सा०-3, अभि०सा०-4, अभि०सा०-5, अभि०सा०-8, अभि०सा०-9 और अभि०सा०-11 का परीक्षण किया गया था। जाँच अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए और उसकी अनुपस्थिति में साक्षियों का परीक्षण करके और याचिकाकर्ता को उक्त साक्षियों का प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं देकर निष्पक्ष और मनमाने रीती से काम किया था। साक्षियों का प्रति-परीक्षण बाद में किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया था और उसके बाद, जांच अधिकारी को लिखित संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत किया था। जांच अधिकारी ने दिनांक 26.6.87 को जांच रिपोर्ट(अनुलग्नक पी - 12) प्रस्तुत की, जिसमें उसके द्वारा की गई विस्तृत जांच के आधार पर आरोप को प्रमाणित माना गया था। उत्तरवादी संख्या 3 ने अपने आदेश दिनांक 25.9.87 द्वारा याचिकाकर्ता पर निगम की सेवा से "हटाने" की शास्ति अधिरोपित की। अपीलीय प्राधिकरण अर्थात उत्तरवादी संख्या 2 ने अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को तर्कपूर्ण आदेश द्वारा निरस्त कर दिया।

7. उक्त से क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर कर दण्डादेश दिनांक 25.9.1987 और अपीलीय आदेश दिनांक 12.9.88 को अभिखंडित किये जाने का निर्देश देने की ईप्सा की है।

8. उत्तरवादीगण ने अपने प्रत्युत्तर में याचिका में लगाए गए आरोपों का विरोध करते हुए तर्क व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता ने भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के उपबंधों के अधीन विरचित किये गए एफसीआई (कर्मचारी) विनियम, 1971 के विनियम 74 के अंतर्गत पुनर्विलोकन दायर करने के वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया है। विनियमन 74 में वरिष्ठ प्राधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकन दाखिल करने का प्रावधान है जैसे कि क्षेत्रीय प्रबंधक के प्रबंध निदेशक को दिए गए आदेश के विरुद्ध। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में आने से पहले वैकल्पिक उपाय का उपयोग नहीं किया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता को ग्वालियर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि सत्यापन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज भोपाल में वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के पास उपलब्ध थे। ग्वालियर में दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्वालियर जाने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ होता क्योंकि वे क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में उपलब्ध थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता को उसकी मांग के अनुसार सभी दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुज्ञा दी गई थी। याचिकाकर्ता को अपना बचाव सहायक नामित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था और बचाव सहायक नामित करने के उद्देश्य से समय को पुनः 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा

नामांकन कर लिया गया था। अभियोजन पक्ष के साक्षियों का दिनांक 26.3.87 से 29.3.87 तक परीक्षण किया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष के सभी साक्षी उपस्थित थे और याचिकाकर्ता को साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का पूरा अवसर दिया गया था और इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। यह आरोप कि जांच अधिकारी ने लापरवाही से और मनमानेपूर्ण रीती से काम किया था, निराधार था।

10 . उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. पी. गुप्ता ने अपने तर्क कि विभागीय जांच में याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति पूर्ण प्रकृति की जांच को दूषित नहीं करती है, के समर्थन में **नारायण दत्तात्रेय रामतीर्थखर बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "प्रारंभिक जाँच का अभियोग पत्र जारी होने के बाद की गई जाँच से कोई संबंध नहीं है। पूर्ववर्ती कार्रवाई यह पता लगाने के लिए होगी कि क्या अपचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच शुरू की जानी चाहिए। पूर्ण जांच के बाद, प्रारंभिक जांच ने अपना महत्व खो दिया था"।

11 . **जे. ए. नायकसतम वी. प्रोथोनोटरी एंड सीनियर मास्टर, बॉम्बे उच्च न्यायालय और अन्य**[2] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः -

---

1 AIR 1997 Supreme Court 2148

2 AIR 2005 Supreme Court 1218

"अंत में, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण पर अधिरोपित दंड अनानुपातिक हैं क्योंकि यह प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि इन अपीलार्थियों को कोई अवैध परितोषण मिला था। यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थीगण निर्दोष हैं और उन पर पदच्युत करने का कठोर दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए था। सार्वजनिक जीवन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने दोषी अधिकारियों को पदच्युत करने का उचित दण्ड अधिरोपित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है और अभिवचनों से जुड़े अभिलेखों का अध्ययन किया है।

13. यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने अपचारी कर्मचारी/याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर दिया है। याचिकाकर्ता ने जांच के उद्देश्य से प्रासंगिक सभी दस्तावेजों का निरीक्षण किया है। याचिकाकर्ता ने सभी साक्षियों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण किया है। जाँच के संचालन में कोई प्रक्रियात्मक दोष या विकृति नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या अनिवार्य विधिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच अधिकारी ने विस्तृत जांच करने के बाद याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषी पाया था और अभिनिर्धारित किया था कि याचिकाकर्ता ने एफसीआई (कर्मचारी) विनियम, 1971 के विनियम 31 और 32 का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए सेवा से हटाने का अधिरोपण असंगत नहीं है, जो दुर्भावनापूर्ण आशय सहित प्रमाणित होना पाया गया है। याचिकाकर्ता ने अपने आचरण से निगम

को क्षति पहुंचाई है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय जांच रिपोर्ट पर विस्तार से विचार किया है कि याचिकाकर्ता सेवा से हटाने के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है। यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय अपीलीय न्यायालय के समान व्यवहार नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय के पास जाँच प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की समीक्षा करने की सीमित गुंजाइश है, जिसकी पुष्टि अनुशासनिक प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी की गई है। मुझे जांच में कोई विकृति या प्रक्रियात्मक दोष नहीं मिला है और इस प्रकार, इस जांच प्रतिवेदन में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता पर अधिरोपित सेवा से हटाने का दण्ड, प्रकरण के तथ्यों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि अनुचित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उच्चतम न्यायालय ने **तमिलनाडु सरकार एवं अन्य विरुद्ध एस. वेल राज**[3] के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

> "इस विषय पर भी अब विधि सुस्थापित हो चुकी है। अधिकरण ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य का पुनःपरीक्षण करने और यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी कि इसमें विसंगतियों के कारण यह स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं था। अधिकरण एक दाण्डिक विचारण पर कार्यवाही नहीं कर रहा था और इसलिए, उत्तरवादी को यह अभिनिर्धारित करके दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए था कि यह "सभी संदेहों से परे यह प्रमाणित नहीं हुआ था कि आवेदक ने निषिद्ध शराब का सेवन किया था"। जाँच

[3] ( 1997 ) 2 SCC 708

अधिकारी द्वारा अभिलिखित और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किया गया निष्कर्ष अन्वेषण के दौरान प्रस्तुत किये गए साक्ष्य पर आधारित था और यह भी तर्क नहीं दिया गया था कि उक्त निष्कर्ष विकृत थे। इसलिए, अधिकरण विपरीत निष्कर्ष दर्ज करने और यह अभिनिर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं था कि उत्तरवादी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुआ था।

15 . तर्क प्रस्तुत किये जाने के दौरान, उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता के सहमत होने की स्थिति में पद से हटाने के दण्ड को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में उपांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के दण्ड को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में उपांतरित करने के लिए उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16 . उपर्युक्त कथित कारणों के आधार पर, याचिका निरस्त किया जाता है। वाद व्यय के सम्बंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

सही/-
**(सतीश के. अग्निहोत्री)**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated by Ratna Sahu, Advocate**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur